अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रो0 (डॉ0)दिनेश कुमार
समन्वयक

आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

पत्रांक. cell/..246

दिनाँकः 10/11/2025

समस्त विभागाध्यक्ष
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
महोदय/ महोदया,

आपको अवगत कराना है कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार, विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र एवं छात्राओं, विशेषकर SC/ST/OBC, निर्धन एंव कमजोर वर्ग के छात्र एंव छात्राओं हेतु UGC/CSIR NET/JRF की कोचिंग की व्यवस्था सत्र 2025–26 हेतु आरम्भ की जा रही है जिसके अंतर्गत आप सभी अपने–अपने विभागों के छात्र एंव छात्राओं हेतु UGC NET/JRF की कोचिंग अपने विभागीय स्तर पर शीध्र आरम्भ कराने का कष्ट करें।

इस कोचिंग शिक्षण कार्य हेतु, इच्छुक विभागीय शिक्षकों/UGC/CSIR NET उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का इस कोचिंग में शिक्षण कार्य हेतु , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के माध्यम से, माननीय कुलपति जी से अनुमोदन आवश्य प्राप्त कर लें।

अनुमोदित शिक्षकों को मानदेय का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ हेतु सत्र 2025–26 के स्वीकृत बजट से विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जायेगा।

इस सन्दर्भ में सभी छात्र/छात्राओं एंव शिक्षको की उपस्थिति रिकॉर्ड एंव अन्य समस्त अभिलेख सभी विभाग अपने–अपने विभागीय कार्यालय में ही सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

भवदीय

समन्वयक

प्रतिलिपि–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. वेबसाइट प्रभारी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

समन्वयक